

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 4717 / 9-1-2017-302सा / 2017
लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1059) की धरा 7 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्गत अधिसूचना संख्या-4560/9-1-2017-302सा/2017, दिनांक 12-10-2017 के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुए नगर निगमों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए महापौर के स्थान निम्न अनुसूची के अनुसार आरक्षित/आवंटित किये जाते हैं:-

| क्र. सं. | जनपद का नाम | नगर निगम का नाम | आरक्षण का वर्ग |
|----------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मथुरा | नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन | अनुसूचित जाति |
| 2 | मेरठ | नगर निगम, मेरठ | अनुसूचित जाति महिला |
| 3 | फिरोजाबाद | नगर निगम, फिरोजाबाद | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 4 | वाराणसी | नगर निगम, वाराणसी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 5 | सहारनपुर | नगर निगम, सहारनपुर | पिछड़ा वर्ग |
| 6 | गोरखपुर | नगर निगम, गोरखपुर | पिछड़ा वर्ग |
| 7 | लखनऊ | नगर निगम, लखनऊ | महिला |
| 8 | कानपुर नगर | नगर निगम, कानपुर | महिला |
| 9 | गाजियाबाद | नगर निगम, गाजियाबाद | महिला |
| 10 | आगरा | नगर निगम, आगरा | अनारक्षित |
| 11 | इलाहाबाद | नगर निगम, इलाहाबाद | अनारक्षित |
| 12 | बरेली | नगर निगम, बरेली | अनारक्षित |
| 13 | मुरादाबाद | नगर निगम, मुरादाबाद | अनारक्षित |
| 14 | अलीगढ़ | नगर निगम, अलीगढ़ | अनारक्षित |
| 15 | झांसी | नगर निगम, झांसी | अनारक्षित |
| 16 | फैजाबाद | नगर निगम, अयोध्या | अनारक्षित |

भवदीय,

Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
26.10.17

संख्या- 4717 (1)/9-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 26/10/2017 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 500 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- 4717 (1)/9-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, अलीगढ़/झांसी/आगरा/वाराणसी/मेरठ/ गोरखपुर/ कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/अयोध्या/फिरोजाबाद एवं मथुरा-वृन्दावन।
- 5- जिलाधिकारी, , अलीगढ़/झांसी/आगरा/वाराणसी/मेरठ/ गोरखपुर/ कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/अयोध्या/फिरोजाबाद एवं मथुरा-वृन्दावन को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
- 6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना/आदेश को नगर निगम के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करायें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।
- 7- वेब मास्टर।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव